

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**  
**अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029**

**शुद्धि पत्र**

संविदागत आधार पर विभिन्न विभागों में सहायक आचार्य के 27 पदों को भरने के लिए दिनांक 12.02.2020 को आयोजित होने वाले प्रवेश-साक्षात्कार के लिए एम्स की वेबसाइट पर दिनांक 10.01.2020 को दर्शाये गए संस्थान के विज्ञापन सं.01/2020-(एफ.सी.)-संविदा के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि:

1. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एन.सी.आई. झज्जर में सहायक आचार्य के पदों की संख्या को 03 [01 अ.जा, 01 अ.ज.जा एवं 01-अ.पि.व] से बढ़ाकर 05 (02 अ.जा, 01 अ.ज.जा, 01-अ.पि.व एवं 01-अनारक्षित (ईडब्ल्यूएस)) कर दिया गया है। अतः अब कुल पदों की संख्या 27 से बढ़ाकर 29 कर दी गई है।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या.36039/1/2019-स्था.(आरईएस) के अनुसार लागू किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे पदों के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित वर्ग के उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा।
3. वे अभ्यर्थी, जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से आरक्षण पाने के इच्छुक हैं, उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र होना चाहिए, जो कि प्रवेश-साक्षात्कार की तिथि या उससे पूर्व की तिथि में जारी होना चाहिए।
4. आरक्षित वर्गों जैसे अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/पी.डब्ल्यू.बी.डी. के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा बशर्ते वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में वैध जाति प्रमाण-पत्र जमा करें। इन रिक्तियों को वित्त वर्ष 2019-2020 में विज्ञापित किया जा रहा है, अतः दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के बीच की अवधि में जारी वैध एनसीएल-ओबीसी प्रमाण-पत्रों को वैध माना जाएगा। वे अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त अवधि (अर्थात् दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020) से पूर्व अथवा इसके बाद की अवधि में जारी प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें इस साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या.36036/2/2013-स्था.(आरईएस) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या.36036/2/2013-स्था.(आरईएस) द्वारा जारी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध कराये गए प्रारूप में वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में रोजगार के लिए वैध होना चाहिए। अ.पि.व. के अभ्यर्थी की योग्यता भारत सरकार की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित जातियों पर आधारित होगी। ओबीसी प्रमाण-पत्र में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदक क्रीमी लेयर से संबन्धित नहीं है।

अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

  
प्रशासनिक अधिकारी (संकाय प्रकोष्ठ)



**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110608.**

**CORRIGENDUM**

Reference this Institute's advertisement No.01/2020-(FC)-Contract, displayed on Institute's web site on 10.01.2020, for Walk-in-Interview to be held on 12.02.2020 for filling up 27 posts of Assistant Professor in various disciplines on contractual basis, it is notified that:

1. the number of posts of Assistant Professor of Surgical Oncology, NCI, Jhajjar is now increased from 03[01-SC,01-ST & 01-OBC] to 05[02-SC, 01-ST, 01-OBC & 01-UR(EWS)]. Hence, total number of posts are now increased from 27 to 29.
2. Reservation for Economically Weaker Sections(EWSs) shall be applicable as per DOPT O.M. No.36039/1/2019-Estt(Res) DOPT dated 19.01.2019. Accordingly, in case of non availability of EWS candidate for such posts, the post/s reserved for EWS will be filled from available eligible candidates as UR.
3. Those who are desirous of availing reservation for EWS, should have Income & Asset certificate on a prescribed format issued by the Competent Authority, issued on or before the date of Walk-in-interview.
4. Candidate applying under any of the reserved category viz. SC/ST/OBC/PWBD will be considered subject to submission of valid caste certificate on a prescribed format issued by the Competent Authority. The vacancies are being advertised in financial year 2019-20, therefore, valid NCL-OBC certificate issued during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020 will be considered valid. Candidates who have NCL-OBC certificate issued before or after this period (i.e. 01.04.2019 to 31.03.2020) will not be considered valid for this Interview. Candidates applying under OBC category must produce the valid caste certificate in the format provided by the DoP&T vide O.M.No.36036/2/2013-Estt(Res.) dated 30.05.2014 and further clarification issued by DoP&T OM No. 36036/2/2013-Estt(Res.) dated 31.03.2016. Certificate must be valid for employment in Central Government Institution. OBC Candidate's eligibility will be based on castes borne in the Central List of Govt. of India. The OBC certificate should clearly show that the applicant does not belong to the Creamy Layer."

Other terms and conditions will remain unchanged.

ADMN. OFFICER(FC)

*MJ*  
*4/2/2020*

*MJ*  
*4/2/2020*